

### प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग-सीमाशुल्क तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक, विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेख किए गए दृष्टान्त वे हैं जो 2015-16 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये मामलों के साथ-साथ पिछले वर्षों में ध्यान में आए मामलों, जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं बताया जा सका। 2015-16 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित दृष्टान्तों को भी वहां शामिल किया गया है जहां आवश्यक है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।